सप्तदश

बिहार विधान सभा

तृतीय सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग-2

मंगलवार, तिथि 05 श्रावण, 1943 (श०)
27 जुलाई, 2021 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 06

(1)	खान एवं भूतत्व विभाग	.. ..	01
(2)	शिक्षा विभाग	.. ..	05
		कुल योग --	06

दोषियों पर कार्रवाई

1. श्री रामप्रवेश राय (क्षेत्र संख्या-100 बरौली)--क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि 2019 के दिसम्बर तक नई बन्दोबस्ती की प्रक्रिया पूरी नहीं होने पर पुराने बंदोबस्तधारियों को ही राजस्व में 50 फीसदी बढ़ोतरी के साथ 31 दिसम्बर, 2020 तक बालू खनन करने की अनुमति दी गयी थी, पुनः 1 अप्रील, 2021 से 30 सितम्बर, 2021 तक बालू खनन की मंजूरी कैबिनेट द्वारा दी गयी परंतु पटना, भोजपुर, सारण, औरंगाबाद, रोहतास व गया में बढ़ी दर के कारण पुराने बंदोबस्तधारियों ने बालू खनन बंद कर दिया ;

(2) क्या यह बात सही है कि बन्दोबस्तधारियों के बालू खनन बंद कर दिये जाने के बावजूद धड़ल्ले से राज्य में बालू का अवैध खनन जारी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खनन बंद रहने के बावजूद अवैध उत्खनन के लिये दोषियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

योजना लागू करना

2. श्री जनक सिंह (क्षेत्र संख्या-116 तरैया)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सरकार महिला कर्मचारियों को शिशु देख-भाल के लिये 730 दिनों की सवैतनिक छुट्टी स्वीकृत करती है, जो वित्त विभाग के 3/एफ-01-41/2014/640, दिनांक 19 जनवरी, 2015 द्वारा अधिसूचित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अधिसूचना संख्या 271, दिनांक 18 जुलाई, 2018 द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि महिला प्राध्यापकों को भी 730 दिनों की शिशु देख-भाल छुट्टी दी जाये ;

(3) क्या यह बात सही है कि बिहार सरकार के नियंत्रणाधीन विश्वविद्यालयों में महिला प्राध्यापकों को शिशु देख-भाल छुट्टी नहीं दी जाती है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार विश्वविद्यालयों में भी महिला प्राध्यापकों को शिशु देख-भाल छुट्टी योजना लागू करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

औचित्य बतलाना

3. श्री अली अशरफ सिद्दिकी (क्षेत्र संख्या-158 नाथनगर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मुख्यमंत्री कन्या प्रोत्साहन योजना को 2018-19 में लागू कर सरकार द्वारा प्रावधान किया गया कि स्नातक उत्तीर्ण करने वाली छात्राओं को 25,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी गयी ;

(2) क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त 25,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर 2020-21 में 50,000 रुपये कर दिया गया ;

(3) क्या यह बात सही है कि 2.20 लाख छात्राओं को वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक मुख्यमंत्री कन्या प्रोत्साहन योजना के तहत देय राशि भुगतान नहीं किया गया है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो 2.20 लाख छात्राओं को देय प्रोत्साहन राशि तीन वर्षों से नहीं दिये जाने का औचित्य क्या है ?

औचित्य बतलाना

4. श्री भाई वीरेन्द्र (क्षेत्र संख्या-187 मनेर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक नियुक्ति से संबंधित माननीय उच्च न्यायालय, पटना में रिट याचिका संख्या सी0डब्लू0जे0सी0 7651/2017, सी0डब्लू0जे0सी0 1035/2018 से उद्भूत एम0जे0सी0 संख्या 3748/2017, एम0जे0सी0 संख्या 899/2019 के आलोक में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना के विज्ञप्ति संख्या पी0आर0 373/2019 द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा आयोजन करने हेतु निर्णय लेने के उपरान्त दिनांक 16 दिसम्बर, 2019 को प्रतियोगिता परीक्षा लिया गया एवं दिनांक 11 फरवरी, 2020 को 8386 रिक्त पद के विरुद्ध 3523 सफल अभ्यर्थी की सूची निर्गत किया गया, यदि हाँ, तो पुनः दिनांक 26 जून, 2021 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये नियुक्ति संबंधी आदेश का पालन नहीं करने का औचित्य क्या है ?

शिक्षा में गुणात्मक सुधार

5. श्री ललित कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-82 दरभंगा ग्रामीण)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नीति आयोग के विगत 3 वर्षों के वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में बिहार का 28 राज्यों और 8 केन्द्रशासित प्रदेशों में वर्ष 2017-18 में 17वाँ, 2018-19 में 19वाँ तथा 2019-20 में भी 19वाँ स्थान है, जबकि वर्ष 2020-21 में बिहार सबसे निचले पायदान पर है, यदि हाँ, तो क्या सरकार शिक्षा में गुणात्मक सुधार करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चतुर्थवर्गीय कर्मचारी का दर्जा

6. श्री सत्यदेव राम (क्षेत्र संख्या-107 दरौली (अ0जा0))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के अन्दर प्राथमिक विद्यालय और मध्य विद्यालयों में सरकार की महत्वकांक्षी योजना मिड-डे मिल रसोइयों के द्वारा संचालित होता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि रसोईया आठ घंटा से अधिक समय तक साफ-सफाई से लेकर खाना बनाने और बच्चों को खिलाने का कार्य करती हैं, जो सरकारी शिक्षकों से ज्यादा कार्य का समय है ;

(3) यह उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार रसोइयों को चतुर्थवर्गीय कर्मचारी का दर्जा देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पटना :
दिनांक 27 जुलाई, 2021 (ई0) ।

भूदेव राय,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा ।

बि0स0मु0, 17(एल0ए0), 2020-21-डी0टी0पी0-550